-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **ऑनलाइन बेटिंग व साइबर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा किया गया पर्दाफाश । पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । गिरोह के क्षेत्रीय सरगना की गिरफ्तारी के किया जा रहे प्रयास ।**
- ❖ **गिरोह गोवा में बैठकर ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी की घटनाओं को देता था अंजाम । स्थानीय स्तर पर गिरोह के सदस्य भोले वाले लोगों का 10-15 हजार का लालच देकर खाता एटीएम और पिन करते थे प्राप्त ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन जनपद मे साइबर अपराधों के रोकथाम एवं ऑनलाइन ठगी करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्री सौरभ सिंह के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम थाना बांदा द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एवं साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि थाना बदौसा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा साइबर क्राइम थाना में सूचना दी गई की राघवपुरी जनपद चित्रकूट का रहने वाला एक व्यक्ति राजकुमार उन्हें 10-15 हजार रुपए का लालच देकर उनका खाता पासबुक, एटीएम तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त करना चाह रहा था । वह अन्य लोगों से उनके बैंक खाता प्राप्त भी कर चुका है । शिकायत पर साइबर क्राइम थाना बांदा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जांच एवं विवेचना के क्रम में चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसके क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राजकुमार एक अन्तर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है जो गोवा में बैठकर ऑनलाइन बेटिंग एवं साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता है । वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का प्रयोग कर पूरे नेटवर्क के संबंध में जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि गिरोह बड़े पैमाने पर कई राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है । क्षेत्रीय स्तर पर गिरोह का मुख्य सरगना आकाश उर्फ रजनीश कुमार द्विवेदी पुत्र रामबाबू द्विवेदी निवासी ठक्कर बापा गुडियारी रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है जो बांदा चित्रकूट तथा उसके आसपास के जनपदों के साथ-साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी अपने एजेंट तैयार करता है । ये एजेंट स्थानीय भोले वाले लोगों को 10-15 हजार रुपए का लालच देकर उसके बैंक खातों की डिटेल, पासबुक, एटीएम आदि प्राप्त करते थे तथा साइबर ठगी के पैसे से उन खातों में ट्रांसफर कराकर अपने लाभ में प्रयोग करते थे । मुख्य सरगना आकाश अक्सर गोवा आता जाता रहता था पुलिस द्वारा गिरोह के तीन सदस्यों को बांदा अतर्रा राइस मील के पास गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुख्य सरगना आकाश की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं । अभियुक्तों के पास से प्राप्त खातों की जांच में पाया गया कि खाते कई राज्यों से साइबर ठगी की शिकायतों के कारण फ्रीज किए गए हैं । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त चेकबुक, पासबुक, 03 मोबाइल फोन, आधार कार्ड/फर्जी दस्तावेज एवं 16 चूडिया (सफेद धातु की) बरामद किये गये ।

पंजीकृत अभियोग

- ➢ मु0अ0सं0 13/25 धारा 318(4)/319(2)/338/340(2)/352 बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद बांदा ।

बरामदगी

1. 01 चैकबुक बैकं ऑफ बडौदा
2. 01 पासबुक इंडियन बैकं
3. 16 चूडिया (सफेद धातु की)
4. 03 मोबाइल
5. 01 चार पहिया वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त

1. दीपक कुमार पुत्र लालमन कोरी निवासी चित्रा गोकुलपुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट।
2. कृष्ण कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुमार कुशवाहा निवासी संग्रामपुर जनपद चित्रकूट।
3. राजकुमार सोनकर पुत्र मिट्ठी लाल निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कर्वी जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तारी टीम

1. निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 आकाश शुक्ला
3. कां0 हिमांशु वर्मा
4. कां0 ललित कुमार